



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01012025-259776
CG-DL-E-01012025-259776

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 347]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 26, 2024/पौष 5, 1946

No. 347]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 26, 2024/PAUSHA 5, 1946

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 दिसंबर, 2024

मामला सं. एडी (ओआई) 45/2024

विषय: चीन जन. गण. और वियतनाम के मूल के अथवा वहां से निर्यातित नाइलोन फिलामेंट यार्न के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच।

फा. सं. 06/48/2024-डीजीटीआर- सेंचुरी एनका प्राइवेट लिमिटेड, गुजरात पोलीफिल्मस प्राइवेट लिमिटेड और ओरिलोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (जिन्हें आगे “आवेदक” भी कहा गया है) ने समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (जिसे आगे ‘अधिनियम’ भी कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे “नियमावली” या “एडी नियमावली” भी कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे “प्राधिकारी” भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है। जिसमें चीन जन.गण. और

वियतनाम (जिन्हें आगे “संबद्ध देश” भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित “नाइलोन फिलामेंट यार्न” (जिसे आगे “संबद्ध वस्तु” अथवा “विचाराधीन उत्पाद” अथवा “एनएफवाई” भी कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत करने का अनुरोध किया गया है।

आवेदकों ने आरोप लगाया है कि संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है। तदनुसार, आवेदकों ने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है।

क. विचाराधीन उत्पाद

1. विचाराधीन उत्पाद नाइलोन से निर्मित “सिंथेटिक फिलामेंट यार्न” है जिसे पोलिअमाइड यार्न या नाइलोन फिलामेंट यार्न के रूप में जाना जाता है। नाइलोन फिलामेंट यार्न एक सिंथेटिक फिलामेंट यार्न होता है जिसे कार्बनिक मानोमर के पोलिमेराइजेशन से उत्पादित किया जाता है। विचाराधीन उत्पाद मल्टी फिलामेंट यार्न है। विचाराधीन उत्पाद में मदर यार्न, फुली ड्रान यार्न, पार्शियली ओरिएंटेड यार्न, ड्रा टेक्सचर्ड यार्न क्रिम्प यार्न, एअर ट्रक्सचर्ड यार्न, एअर कवर्ड यार्न, हाई ओरिएंटेड यार्न और हाई टेनासिटी यार्न शामिल हैं। सभी मानव निर्मित फिलामेंट यार्न जिनमें नाइलोन या पोलिअमाइड नहीं होता है, विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर हैं। निम्नलिखित विशेष रूप से विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर हैं।

क. मोनो फिलामेंट यार्न

ख. बल्क कंटीन्यूअस फाइबर

ग. नायलॉन 66 यार्न

घ. हॉट मेल्ट यार्न

ड.. लो मेल्ट यार्न

च. बॉन्डेड यार्न

छ. कंडक्टिव यार्न

ज. एंटी-स्टैटिक यार्न

झ. नोमेक्स और अरामिड्स यार्न

2. विचाराधीन उत्पाद में नाइलोन या पोलियामाइड के सिंथेटिक फिलामेंट यार्न के सभी प्रकार शामिल हैं, जैसे फ्लैट यार्न-टविस्टेड और/या अनटविस्टेड, फुली ड्रान यार्न (एफडीवाई), स्पिन ड्रान यार्न (एसडीवाई), फुली ओरिएंटेड यार्न (एफओवाई), हाई ओरिएंटेड यार्न (एचओवाई), पार्शियली ओरिएंटेड यार्न (पीओवाई), टेक्सचर्ड यार्न – ट्विस्टेड और/या अनट्विस्टेड और डाइड यार्न, सिंगल, डबल, मल्टीपल, फोल्डेड या केबल्ड, और नाइलोन के उच्च टेनासिटी यार्न हैं जो सीमा शुल्क शीर्ष 5402 के अन्तर्गत अध्याय 54 के भीतर वर्गीकरण योग्य हैं। इस उत्पाद में नाइलोन फिलामेंट यार्न या पोलिअमाइड यार्न की सभी किस्में जैसे फ्लैट/टेक्सचर्ड/ट्विस्टेड/अनट्विस्टेड, ब्राइट/सेमी-डल/फुल डल (या उनकी किस्में), ग्रे/कलर्ड/डाइड (या उनकी किस्में), सिंगल/डबल/मल्टीपल/फोल्डेड/केबल्ड (या उनकी किस्में), चाहे आकार में हों या नहीं, शामिल हैं।
3. विचाराधीन उत्पाद का प्रयोग अनेक परिधानों और वस्त्र अनुप्रयोगों में होता है, जैसे साड़ियां, दुपट्टा, पोशाक, स्विम वियर और एक्टिववियर तथा कालीन और अपहोलस्टेरी। इसका कुछ औद्योगिक अनुप्रयोगों में भी प्रयोग होता है जैसे रस्सियां, केबल, बेल्ट, शीट कवर और एअर बैग। विचाराधीन

उत्पाद का प्रयोग इसकी मजबूती, मुलायम होने, स्ट्रेचिबिलिटी, चमक, लाइटनेस, नमी सोखने, ड्रेप और सरल रंगाई क्षमता के लिए होता है। इसके बेहतर टिकाऊपन के कारण इसका प्रयोग आउटडोर वियर और उच्च मजबूती के फिशिंग लाइन, नेट और रोप में होता है।

4. संबद्ध वस्तुओं को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 54 के अंतर्गत शीर्ष 5402 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। संबद्ध वस्तुओं को कई कोडों के अंतर्गत आयात किया जा रहा है, जिनमें 5402 19 10, 5402 19 90, 5402 31 00, 5402 32 00, 5402 45 00, 5402 51 00, 5402 61 00 शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, उत्पाद को वर्गीकरण मद 5402 19 20 के अंतर्गत भी आयात किया गया है। आवेदकों ने दावा किया है कि उत्पादों का कोई समर्पित एचएस कोड नहीं है और संबद्ध वस्तुओं को शीर्ष 5402 के अंतर्गत आने वाले अन्य एचएस कोडों के अंतर्गत भी आयात किया जा सकता है। प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए 4 अंकों के स्तर पर एचएस कोडों पर विचार किया है। सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।
5. वर्तमान जांच के पक्षकार इस जांच की शुरुआत की तारीख के 15 दिनों के भीतर पीयूसी के दायरे और प्रस्तावित पीसीएन, यदि कोई हों, संबंधी अपनी टिप्पणियां दे सकते हैं।

ख. समान वस्तु

6. आवेदकों ने अनुरोध किया है कि संबद्ध देशों से निर्यातित संबद्ध वस्तु और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु एक समान हैं। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु तकनीकी विनिर्देशनों, भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा टैरिफ वर्गीकरण की दृष्टि से संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तु से तुलनीय विशेषताएं रखती हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। अतः वर्तमान जांच की शुरुआत के प्रयोजनार्थ आवेदकों द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के समान वस्तु माना जा रहा है।

ग. घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

7. यह आवेदन सेंचुरी एनका प्राइवेट लिमिटेड, गुजरात पोलीफिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड और ओरिलोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदकों के अलावा, अन्य घरेलू उत्पादक भी समान वस्तु के उत्पादन में शामिल हैं। चार घरेलू उत्पादकों अर्थात् एग्लोन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, एवाईएम सिंटेक्स लिमिटेड, सालासर पोलिप्लेक्स प्राइवेट लिमिटेड और टोडी रेयांस प्राइवेट लिमिटेड ने आवेदकों द्वारा प्रस्तुत आवेदन के समर्थन में पत्र प्रस्तुत किया है।
8. आवेदकों ने बताया है कि वे संबद्ध देशों में किसी निर्यातक या भारत में संबद्ध वस्तु के आयातकों से संबंधित हैं। दो आवेदकों अर्थात् सेंचुरी एनका प्राइवेट लिमिटेड और ओरिलोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने जांच अवधि के दौरान संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु का आयात किया है। आवेदकों द्वारा किए गए आयात उनमें उत्पादन और घरेलू बिक्रियों की दृष्टि से नगण्य हैं। इसके मद्देनजर प्राधिकारी पाते हैं कि आवेदक को घरेलू उद्योग होने का अपात्र नहीं माना जा सकता है।
9. उपर्युक्त के मद्देनजर और आवेदकों द्वारा प्रस्तुत आवेदन की जांच करने के बाद प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदकों के पास भारत में कुल घरेलू उत्पादन का 37% हिस्सा है और समर्थकों के साथ भारत में कुल घरेलू उत्पादन का 62% हिस्सा है। इस प्रकार, प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदकों के पास कुल घरेलू उत्पादन का प्रमुख हिस्सा है और वे नियम 2(ख) के अनुसार घरेलू उद्योग हैं और आवेदन नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार स्थिति संबंधी मापदंडों को पूरा करता है।

घ. संबद्ध देश

10. वर्तमान पाटनरोधी जांच के लिए संबद्ध देश चीन जन.गण. और वियतनाम हैं।

ड. जांच की अवधि

11. आवेदकों ने प्रस्ताव किया है कि 1 अप्रैल 2023 से 30 जून 2024 की अवधि को जांच की अवधि माना जाए। आवेदकों ने बताया है कि वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ 15 महीने की जांच अवधि उचित है क्योंकि इससे एक पूर्ण लेखांकन वर्ष तथा बिल्कुल हाल की अवधि शामिल हो पाएगी। यह भी बताया गया है कि जुलाई, 2023 – जून, 2024 पर जांच अवधि के रूप में विचार करने से लागत संबंधी आंकड़े तैयार करने में काफी व्यावहारिक कठिनाइयां होंगी क्योंकि इसके लिए दो अलग वित्तीय वर्षों से जानकारी निकालना अपेक्षित होगा। आवेदकों ने दावा किया है कि उनमें से अधिकांश अपेक्षाकृत छोटी कंपनियां हैं और उनके संसाधन सीमित हैं। दो अलग वित्तीय वर्षों से सूचना निकालने और आधार बनाकर सूचना तैयार करने का कार्य आवेदकों के लिए अनावश्यक रूप से दुष्कर होगा।
12. उपर्युक्त के मद्देनजर, वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ उचित समझी गई जांच की अवधि 1 अप्रैल, 2023 से 30 जून, 2024 (15 महीने) है। क्षति विश्लेषण अवधि में जांच की अवधि और तीन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष अर्थात् 1 अप्रैल, 2020 – 31 मार्च, 2021, 1 अप्रैल 2021-31 मार्च, 2022, 1 अप्रैल 2022 – 31 मार्च 2023 और जांच अवधि शामिल है।

च. कथित पाटन के लिए आधारचीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य

13. आवेदक ने दावा किया है कि चीन जन.गण. को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था माना जाना चाहिए और चीन जन.गण. के उत्पादकों को यह प्रदर्शित करने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए कि संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन और बिक्री के संबंध में उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियाँ विद्यमान हैं। जब तक चीन जन.गण. के उत्पादक यह नहीं दर्शाते कि ऐसी बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियाँ विद्यमान हैं, तब तक उनका सामान्य मूल्य नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए।
14. अतः, वर्तमान जांच शुरुआत के प्रयोजनार्थ, प्राधिकारी ने चीन जन.गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था माना है और चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य भारत में देय कीमत के आधार पर निर्धारित किया है। सामान्य मूल्य के आवेदक घरेलू उद्योग की अनुमानित उत्पादन लागत के आधार पर परिकलित किया गया है और तर्कसंगत लाभ के साथ बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय के लिए विधिवत समायोजित किया गया है।

वियतनाम के लिए सामान्य मूल्य

15. आवेदकों ने दावा किया है कि उनके पास वियतनाम में घरेलू बिक्री कीमत या उत्पादन की वास्तविक लागत के किसी साक्ष्य तक पहुंच नहीं थी। इस प्रकार आवेदकों ने उपलब्ध सूचना के आधार पर उत्पादन लागत निर्धारित की है। आवेदकों ने सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सूचना के अनुसार घरेलू उद्योग की परिवर्तन लागत और लागू खपत मानकों पर भरोसा करते हुए वियतनाम में आयातों के आधार पर और वियतनाम में विद्युत की कीमत के अनुसार वियतनाम में प्रचलित कच्ची सामग्री (कैप्रोलेक्टम) की कीमत को अपनाया है। बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय तथा तर्कसंगत लाभ के लिए योग किए गए हैं।
16. जांच शुरुआत के प्रयोजनार्थ, प्राधिकारी ने आवेदकों द्वारा यथा-निर्धारित सामान्य मूल्य पर विचार किया है।

निर्यात कीमत

17. संबद्ध वस्तु की निर्यात की डीजी सिस्टम के आंकड़ों में यथा-सूचित संबद्ध वस्तु की सीआईएफ कीमत पर विचार करते हुए निर्धारित की गई है। कारखानाद्वारा निर्यात कीमत ज्ञात करने के लिए समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, पत्तन व्यय, हैंडलिंग प्रभार और बैंक प्रभारों के लिए कीमत समायोजन किए गए हैं।

पाटन मार्जिन

18. संबद्ध वस्तु के सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना कारखानाद्वारा स्तर पर की गई है जो *प्रथमदृष्ट्या* दर्शाती है कि संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पाटन मार्जिन निर्धारित न्यूनतम स्तर से अधिक है और काफी अधिक है। इस प्रकार, इस बात के पर्याप्त प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य हैं कि संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद को संबद्ध देशों के निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में पाटित किया जा रहा है।

छ. क्षति और कारणात्मक संबंध

19. आवेदकों द्वारा प्रस्तुत सूचना पर घरेलू उद्योग को क्षति के आकलन के लिए विचार किया गया है। आवेदकों ने यह सिद्ध करते हुए *प्रथमदृष्ट्या* साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं कि आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है। आवेदकों ने दावा किया है कि आयातों की मात्रा में समग्र रूप से तथा भारत में उत्पादन और खपत की दृष्टि से वृद्धि हुई है। आयातों से घरेलू उद्योग की कीमत में कटौती हो रही है। आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमत का ह्रास किया है और ऐसी कीमत वृद्धि को रोका है, जो अन्यथा बढ़ गई होती। घरेलू उद्योग को आयात की कम कीमत से प्रतिस्पर्धा करने और अपना बाजार हिस्सा बनाए रखने के लिए घाटे में बिक्री करनी पड़ी है, इससे घरेलू उद्योग की लाभप्रदता बुरी तरह प्रभावित हुई है, जो क्षति अवधि में और बिगड़ गई है। घाटे में बिक्री के बावजूद घरेलू उद्योग की मालसूची इकट्ठी की गई है। संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हो रही वास्तविक क्षति के पर्याप्त *प्रथमदृष्ट्या* साक्ष्य हैं जो पाटनरोधी जांच की शुरुआत को न्यायोचित ठहराते हैं।

ज. पाटनरोधी जांच की शुरुआत

20. आवेदकों द्वारा प्रस्तुत विधिवत रूप से साक्ष्यांकित लिखित आवेदन के आधार पर और संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के पाटन, विचाराधीन उत्पाद में कथित पाटन तथा घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति और ऐसी क्षति और पाटित आयातों के बीच कारणात्मक संबंध के बारे में आवेदकों द्वारा प्रस्तुत प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य के आधार पर स्वयं को संतुष्ट करने के बाद और नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार प्राधिकारी एतद्वारा संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के संबंध में पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने और पाटनरोधी शुल्क की ऐसी उपयुक्त राशि की सिफारिश करने के लिए, जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, एतद्वारा पाटनरोधी जांच की शुरुआत करते हैं।

झ. प्रक्रिया

21. नियमावली के नियम 6 में यथा-प्रदत्त सिद्धांतों का वर्तमान जांच में पालन किया जाएगा।

ञ. सूचना प्रस्तुत करना

22. प्राधिकारी को समस्त पत्र ई-मेल पतों adg16-dgtr@gov.in ; adv11-dgtr@gov.in ; jd11-dgtr@gov.in और dd19-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एमएस वर्ल्ड फॉर्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फॉर्मेट में खोजे जाने योग्य हो।
23. संबद्ध देशों में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में उनके दूतावासों के जरिए संबद्ध देशों की सरकार और भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं को इस जांच शुरुआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है। ऐसी समस्त सूचना इस जांच शुरुआत अधिसूचना, नियमावली और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं में विहित ढंग और तरीके से प्रस्तुत की जानी चाहिए।

24. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी इस जांच शुरूआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर इस जांच शुरूआत अधिसूचना, नियमावली और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं द्वारा विहित ढंग और तरीके से वर्तमान जांच से संगत अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है।
25. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराने के लिए उसका अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
26. हितबद्ध पक्षकारों को आगे यह निर्देश दिया जाता है कि इस जांच से संबंधित किसी अद्यतन सूचना और आगे की प्रक्रिया के लिए वे व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट <https://www.dgtr.gov.in/> को नियमित रूप से देखते रहें।

ट. समय सीमा

27. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार घरेलू उद्योग द्वारा दस्तावेजों के अगोपनीय अंश को निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा परिचालित किए जाने या निर्यातक देशों के उचित राजनयिक प्रतिनिधि को दिए जाने की तारीख से 30 दिनों (30 दिनों) के भीतर ई-मेल पत्तों adg16-dgtr@gov.in ; adv11-dgtr@gov.in ; jd11-dgtr@gov.in और dd19-dgtr@gov.in पत्तों पर ई-मेल के माध्यम से प्राधिकारी को भेजी जानी चाहिए। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।
28. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और उक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का अपना उत्तर/अनुरोध प्रस्तुत करें।
29. जहां कोई हितबद्ध पक्षकार अनुरोध प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग करता है, वहां उसे एडी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार ऐसे समय विस्तार का पर्याप्त कारण बताना होगा और ऐसा अनुरोध इस अधिसूचना में निर्धारित समय सीमा के भीतर किया जाना चाहिए।

ठ. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

30. वर्तमान जांच में जहां कोई पक्षकार गोपनीय अनुरोध करता है या प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करता है, वहां ऐसे पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) के अनुसार और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी संगत व्यापार सूचनाओं के अनुसार ऐसी सूचना का एक अगोपनीय अंश साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
31. ऐसे अनुरोधों पर प्रत्येक पृष्ठ पर स्पष्ट रूप से "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्राधिकारी से किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।
32. गोपनीय अंश में ऐसी समस्त सूचना शामिल होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/या ऐसी कोई अन्य सूचना जिसके प्रदाता द्वारा ऐसी सूचना के गोपनीय होने का दावा किया गया है। ऐसी सूचना जिसके स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा किया गया है या वह सूचना जिसके अन्य कारणों से गोपनीय होने का दावा किया गया है, के मामले में उस सूचना के प्रदाता के लिए प्रदत्त सूचना के साथ उसके कारणों का एक विवरण प्रस्तुत करना अपेक्षित है कि ऐसी सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।
33. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत सूचना के अगोपनीय अंश में उस सूचना जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (जहां सूचीबद्ध करना संभव न हो) या सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय अंश का उचित और पर्याप्त अनुकृति होना अपेक्षित है।

34. अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए जिससे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकार को यह दर्शाना होगा कि ऐसी सूचना का सारांश नहीं हो सकता है और एडी नियमावली के नियम 7 और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के अनुसार प्राधिकारी की संतुष्टि के आधार पर ऐसे कारणों का पर्याप्त विवरण प्रस्तुत करना चाहिए कि सारांश क्यों संभव नहीं है।
35. हितबद्ध पक्षकार इस जांच शुरूआत अधिसूचना के संगत पैराग्राफों के अनुसार दस्तावेजों के अगोपनीय अंश के परिचालन की तारीख से 7 दिनों (7 दिनों) के भीतर घरेलू उद्योग द्वारा गोपनीयता के दावे के संबंध में अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं।
36. सार्थक अगोपनीय अंश के बिना या नियमावली के नियम 7 और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के अनुसार गोपनीयता के दावे के पर्याप्त कारणों के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकार्ड में नहीं लिया जाएगा।
37. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने पर गोपनीयता के अनुरोध को प्राधिकारी स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है या यदि सूचना प्रदाता सामान्य अथवा सारांश रूप में सूचना को सार्वजनिक करने या उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वे ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।
38. प्राधिकारी प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की आवश्यकता से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार करने के बाद ऐसी सूचना को देने वाले पक्षकार के स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

ड. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

39. पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची उन सभी से इस अनुरोध के साथ डी जी टी आर की वैबसाइट पर अपलोड की जाएगी कि वे ई-मेल के माध्यम से सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोधों/उत्तर/सूचना का अगोपनीय अंश ई मेल के जरिए भेज दें। अनुरोध/उत्तर/सूचना के अगोपनीय अंश को परिचालित नहीं करने पर किसी हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी माना जा सकता है।

ढ. असहयोग

40. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार तर्क संगत अवधि के भीतर आवश्यक सूचना देने से मना करता है या उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

दर्पण जैन, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(Directorate General of Trade Remedies)****INITIATION NOTIFICATION****New Delhi ,the 26th December, 2024****Case No – AD(OI) – 45/2024**

Subject: - Anti-Dumping Investigation concerning imports of Nylon Filament Yarn originating in or exported from China PR and Vietnam.

F. No. 6/48/2024-DGTR. Century Enka Private Limited, Gujarat Polyfilms Private Limited and Oriilon India Private Limited (hereinafter referred to as the “applicants”) have filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the “Authority”), in accordance with the Customs Tariff Act 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the “Act”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 thereof, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the “Rules or AD Rules”), for the initiation of anti-dumping investigation concerning imports of “Nylon Filament Yarn” (hereinafter also referred to as the “subject goods” or “product under consideration” or “NFY”) originating in or exported from China PR and Vietnam (hereinafter also referred to as the “subject countries”).

The applicants have alleged that dumping of imports of the subject goods originating in or exported from the subject countries has caused material injury to the domestic industry. Accordingly, the applicants have requested for imposition of anti-dumping duty on the imports of the subject goods from the subject countries.

A. PRODUCT UNDER CONSIDERATION

1. The product under consideration is “Synthetic Filament Yarn” made of Nylon also known as polyamide yarns or Nylon Filament Yarn. Nylon Filament Yarn is a synthetic filament yarn produced by polymerization of organic monomers. The product under consideration is multi-filament yarn. The product under consideration includes Mother Yarn, Fully Drawn Yarn, Partially Oriented Yarn, Draw Textured Yarn or Crimp Yarn, Air Textured Yarn, Air Covered Yarn, High Oriented Yarn and High Tenacity Yarn. All man-made filament yarns not having nylon or polyamides are excluded from the scope of the product under consideration. The following are specifically excluded from the scope of the product under consideration.
 - a. Mono filament yarn
 - b. Bulk Continuous Fiber
 - c. Nylon 66 yarn
 - d. Hot melt yarn
 - e. Low melt yarn
 - f. Bonded yarn
 - g. Conductive yarn
 - h. Anti-static yarn
 - i. Nomex and aramids yarn
2. The product under consideration includes all kinds of synthetic filament yarns of Nylon or Polyamides, such as flat yarn - twisted and/or untwisted, fully drawn yarn (FDY), spin drawn yarn (SDY), fully oriented yarn (FOY), high oriented yarn (HOY), partially oriented yarn (POY), textured yarn – twisted and/or untwisted, and dyed yarn, single, double, multiple, folded or cabled, and high

tenacity yarn of nylon classifiable within Chapter 54 under Customs heading 5402. The product includes all variants of Nylon Filament Yarn or Polyamide Yarns such as flat/ textured/ twisted/ untwisted, bright/semi-dull/full-dull (or variants thereof), grey/ colored/ dyed (or variants thereof), single/double/ multiple/folded/cabled (or variants thereof), whether or not sized.

3. The product under consideration is used in a variety of apparel and textile applications such as sarees, dupatta, dresses, swim wear and activewear; as well as in carpets and upholstery. It is also used in certain industrial applications such as ropes, cables, belts, seat covers and airbags. The product under consideration is used for its strength, softness, stretchability, brightness, lightness, moisture absorption, drape and easy dye-ability. On account of its superior durability, it is used in outdoor gears and high-strength fishing lines, nets and ropes.
4. The subject goods are classified under Chapter 54 of the Customs Tariff Act under the heading 5402. The subject goods are being imported under a number of codes, including 5402 19 10, 5402 19 90, 5402 31 00, 5402 32 00, 5402 45 00, 5402 51 00, 5402 61 00. Additionally, the product has also been imported under the classification item 5402 19 20. The applicants have claimed that the products have no dedicated HS Code and the subject goods can also be imported under other HS codes falling under the heading 5402. The Authority has considered HS Codes at 4-digit level for the purpose of the present investigation. The customs classification is only indicative and is not binding on the scope of the product under consideration.
5. The parties to the present investigation may provide their comments on the scope of PUC and propose PCNs, if any, within 15 days from the date of initiation of this investigation.

B. LIKE ARTICLE

6. The applicants have submitted that, the subject goods exported from the subject countries are identical to the goods produced by the domestic industry. The subject goods produced by the domestic industry have comparable characteristics to the subject goods imported from the subject countries in terms of technical specifications, physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, pricing, distribution & marketing and tariff classification. The two are technically and commercially substitutable. Therefore, for the purpose of initiation of the present investigation, the subject goods produced by the applicants are being treated as 'like article', to the subject goods originating in or exported from the subject countries.

C. DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

7. The application has been filed by Century Enka Private Limited, Gujarat Polyfilms Private Limited and Oriilon India Private Limited. Apart from the applicants there are other domestic producers engaged in production of like article. Four domestic producers, namely, Aglon Industries Private Limited, AYM Syntex Limited, Salasar Polyplex Private Limited and Todi Rayons Private Limited, have filed letters supporting the application filed by the applicants.
8. The applicants have submitted that they are not related to any exporters in the subject countries or importers of the subject goods in India. Two of the applicants, namely Century Enka Private Limited and Oriilon India Private Limited, have imported the subject goods from the subject

countries during the period of investigation. The imports made by the applicants are negligible in relation to their production and domestic sales. In view of the same, the Authority finds that the applicants cannot be treated as ineligible to constitute domestic industry.

9. In view of the above and after examination of the application filed by the applicants, the Authority notes that the applicants account for 37% of the total domestic production in India and along with supporters account for 62% of the total domestic production in India. Thus, the Authority notes that the applicants account for major proportion of the total domestic production and constitutes domestic industry in terms of Rule 2(b) and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules.

D. SUBJECT COUNTRIES

10. The subject countries for the present anti-dumping investigation are China PR and Vietnam.

E. PERIOD OF INVESTIGATION

11. The applicants have proposed that a period 1st April 2023 to 30th June 2024 as the period of investigation. The applicants have submitted that a 15 months period of investigation is appropriate for the purpose of the present investigation, as it would allow inclusion of one full accounting year and as well as the most recent period. It has been further submitted that the consideration of July 2023 – June 2024 as period of investigation would result in significant practical difficulties for preparation of the costing data, as it would require culling information for two separate financial years. The applicants have claimed that majority of them are relatively small companies having limited resources. Preparation of information by extracting and collating information from two separate financial years would become unduly onerous for the applicants.
12. In view of the above, the period of investigation considered appropriate for the purpose of the present investigation is 1st April 2023 to 30th June 2024 (15 months). The injury analysis period covers the period of investigation and the three preceding financial years that is, 1st April 2020 – 31st March 2021, 1st April 2021 – 31st March 2022, 1st April 2022 – 31st March 2023 and the period of investigation.

F. BASIS OF ALLEGED DUMPING

Normal value for China PR

13. The applicants have claimed that China PR should be treated as a non-market economy and the producers from China PR should be directed to demonstrate that market economy conditions prevail in the industry with regard to production and sales of the subject goods. Unless the Chinese producers show that market economy conditions prevail, their normal value should be determined in terms of Paragraph 7 of Annexure-I to the Rules.
14. Therefore, for the purpose of the present initiation, the Authority has considered China PR to be a non-market economy and determined normal value for China PR based on price payable in India. The normal value has been constructed based on estimated cost of production of the applicant domestic producers, duly adjusted for selling, general and administrative expenses with reasonable

profits.

Normal value for Vietnam

15. The applicants have claimed that they did not have access to any evidence of domestic selling prices or actual cost of production in Vietnam. Thus, the applicants have determined the cost of production based on information available. The applicants have adopted the price of raw material (caprolactam) prevailing in Vietnam, based on imports into Vietnam and prices of power in Vietnam as per publicly available sources, relying on conversion costs and applicable consumption norms of the domestic industry. An addition has been made towards selling, general and administrative expenses and reasonable profits.
16. For the purpose of initiation, the Authority has considered the normal value as determined by the applicants.

Export price

17. The export price of the subject goods has been determined by considering CIF price of the subject goods, as reported in the DG Systems data. Price adjustments have been made on account of ocean freight, marine insurance, commission, port expenses, handling charges and bank charges to arrive at ex-factory export price.

Dumping margin

18. The normal value and the export price of the subject goods have been compared at the ex-factory level, which prima facie shows that dumping margin is above the de-minimis level and is significant in respect of product under consideration from the subject countries. Thus, there is sufficient prima facie evidence that the product under consideration from the subject countries is being dumped in the Indian market by the exporters from the subject countries.

G. INJURY AND CAUSAL LINK

19. Information furnished by the applicants have been considered for assessment of injury to the domestic industry. The applicants have furnished prima facie evidence establishing that the imports have caused material injury to the domestic industry. The applicants have claimed that the volume of imports has increased in absolute terms as well as in relation to production and consumption in India. The imports are undercutting the prices of the domestic industry. The imports have depressed the prices of the domestic industry, and have prevented price increases, which otherwise would have occurred. The domestic industry has been forced to sell at losses in order to compete with the low import prices and to maintain its market share. This has adversely impacted the profitability of the domestic industry which has deteriorated in the injury period. Despite selling at losses, the domestic industry has accumulated inventories. There is sufficient prima facie evidence of material injury being caused to the domestic industry due to the dumped imports from the subject countries to justify initiation of anti-dumping investigation.

H. INITIATION OF ANTI-DUMPING INVESTIGATION

20. On the basis of the duly substantiated application filed by the applicants, and having satisfied itself, on the basis of the prima facie evidence submitted by the applicants, substantiating dumping of the product under consideration originating in or exported from the subject countries, the consequential injury to the domestic industry and causal link between such alleged dumping and injury, and in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the Rules, the Authority, hereby, initiates an anti-dumping investigation to determine the existence, degree and effect of dumping in respect of the subject goods originating in or exported from the subject countries and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

I. PROCEDURE

21. Principles as given in Rule 6 of the Rules will be followed for the present investigation.

J. SUBMISSION OF INFORMATION

22. All communication should be sent to the Authority via email at the email addresses adg16-dgtr@gov.in ; adv11-dgtr@gov.in ; jd11-dgtr@gov.in and dd19-dgtr@gov.in. It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS Work format and data files are in MS Excel format.
23. The known producers/exporters in the subject countries, the Governments of the subject countries through their embassies in India, and the importers and users in India who are known to be associated with the subject goods are being informed separately to enable them to file all relevant information within the time limits mentioned in this initiation notification. All such information must be filed in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the Rules, and the applicable trade notices issued by the Authority.
24. Any other interested party may also make a submission relevant to the present investigation in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the Rules, and the applicable trade notices issued by the Authority within the time limits mentioned in this initiation notification.
25. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other interested parties.
26. Interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of the Directorate General of Trade Remedies (<http://www.dgtr.gov.in/>) for any updated information with respect to this investigation as well as further processes related to the investigation.

K. TIME LIMIT

27. Any information relating to the present investigation should be sent to the Authority via email at the email addresses adg16-dgtr@gov.in ; adv11-dgtr@gov.in ; jd11-dgtr@gov.in and dd19-dgtr@gov.in

within thirty days (30 days) from the date on which the non-confidential version of the documents filed by the domestic industry would be circulated by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting countries as per Rule 6(4) of the Rules. If no information is received within the stipulated time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings based on the facts available on record and in accordance with the Rules.

28. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant investigation and file their questionnaire response/submissions within the above time limit.
29. Where an interested party seeks additional time for filing of submissions, it must demonstrate sufficient cause for such extension in terms of Rule 6(4) of the AD Rules and such request must come within the time stipulated in this notification.

L. SUBMISSION OF INFORMATION ON CONFIDENTIAL BASIS

30. Where any party to the present investigation makes confidential submissions or provides information on a confidential basis before the Authority, such party is required to simultaneously submit a non-confidential version of such information in terms of Rule 7(2) of the Rules and in accordance with the relevant trade notices issued by the Authority in this regard.
31. Such submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission that has been made to the Authority without such markings shall be treated as "non-confidential" information by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow other interested parties to inspect such submissions.
32. The confidential version shall contain all information which is, by nature, confidential, and/or other information, which the supplier of such information claims as confidential. For the information which is claimed to be confidential by nature, or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to show a good cause along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.
33. The non-confidential version of the information filed by the interested parties should be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out, where indexation is not possible, and such information must be appropriately and adequately summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed.
34. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on a confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons containing a sufficient and adequate explanation in terms of Rule 7 of the AD Rules, and appropriate trade notices issued by the Authority, as to why such summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.

35. The interested parties can offer their comments on the issues of confidentiality claimed in the submissions, within seven days (7 days) from the date of circulation of the non-confidential version of the documents in terms of relevant paragraph of this initiation notification.
36. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or a sufficient and adequate cause statement in terms of Rule 7 of the Rules, and appropriate trade notices issued by the Authority, on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.
37. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is not satisfied that the request for confidentiality is warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
38. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

M. INSPECTION OF PUBLIC FILE

39. A list of registered interested parties will be uploaded on the DGTR's website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions/response/information to all other interested parties. Failure to circulate non-confidential version of submissions/response/information might lead to consideration of an interested party as non-cooperative.

N. NON-COOPERATION

40. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

DARPAN JAIN, Designated Authority